दिनांक/ Date: 30.10.2023

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
Insurance Regulatory and Development Authority of India

प्रेस विज्ञप्ति
PRESS RELEASE

स्वास्थ्य बीमा में ग्राहक सूचना पत्रक (सीआईएस)
Customer Information Sheet in Health Insurance

पालिसीधारकों को सशक्त करते हुए
Empowering policyholders

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने पारदर्शकता का संवर्धन करने तथा पालिसीधारकों की स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में उनकी जागरूकता में वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अपने बीमा कवरेज की अधिक गहरी समझ के साथ **पालिसीधारकों को सशक्त** करने के लिए, आईआरडीएआई ने एक परिपत्र संदर्भः आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/190/10/2023 दिनांक 30.10. 2023 जारी किया है जिसके द्वारा पालिसीधारकों को एक संक्षिप्त और अद्यतन *ग्राहक सूचना पत्रक (सीआईएस)* के निर्गम को अनिवार्य (मैंडेटरी) किया गया है।

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has taken a significant step towards promoting transparency and enhancing policyholder awareness regarding their health insurance policies. To **empower policyholders** with deeper understanding of their insurance coverage, IRDAI has issued a Circular Ref IRDAI/HLT/CIR/MISC/190/10/2023 dated 30.10.2023 mandating issuance of a concise and updated *Customer Information Sheet (CIS)* to the policyholders.

उक्त सीआईएस एक आशुचित्र (स्नैपशाट) में सरल भाषा में पालिसीधारकों को उनकी स्वास्थ्य बीमा पालिसी के बारे में समस्त महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

The CIS is designed to provide policyholders all important information about their health insurance policy in simple language in a snapshot which includes the following, among others:

क) पालिसी का नाम और प्रकार
a) Name and type of policy

ख) कवरेज का विवरण
b) Coverage details

ग) प्रतीक्षा अवधियाँ
c) Waiting periods

घ) सीमाएँ और उप-सीमाएँ
d) Limits and sub-limits

ङ) सभी अपवर्जन
e) All exclusions

च) निम्नलिखित जैसी संकल्पनाएँ-
f) Concepts like-

i. निःशुल्क अवलोकन निरसन
Free look cancellation
ii. अंतरण (माइग्रेशन)
Migration
iii. सुवाह्यता
Portability
iv. अधिस्थगन अवधि
Moratorium period

छ) दावे प्रस्तुत करने के लिए क्रियाविधि संबंधी मार्गदर्शन
g) Guidance on procedure for claims submission

ज) परिवाद/शिकायत फाइल करने के लिए संपर्क का विवरण/वेब लिंक
h) Contact details/web links for grievance/complaint filing

अतिरिक्त रूप से यह अपने स्वास्थ्य से संबंधित संगत महत्वपूर्ण सूचना का पारदर्शी और स्पष्ट प्रकटीकरण करने के लिए पालिसीधारकों के दायित्वों पर भी विशेष बल देता है, क्योंकि इसे प्रकट न करना दावे के निपटान को प्रभावित कर सकता है। बीमाकर्ताओं से भी अपेक्षित है कि वे यह पुष्टि करते हुए पालिसीधारकों के हस्ताक्षर प्राप्त करें कि उन्होंने सीआईएस का विवरण नोट किया है और इसे प्राप्त किया है।

Additionally, it also highlights the obligations of policyholders to make transparent and fair disclosures of relevant material information pertaining to their health, as non-disclosure of the same may affect the claim settlement. The insurers are also required to obtain signatures of the policyholders confirming that they have noted the details of CIS and received it.

इस कदम से यह प्रत्याशित है कि इसके परिणामस्वरूप पालिसीधारकों को बेहतर सूचना मिलेगी, विवादों और विलंब में कमी आयेगी तथा पालिसीधारकों के लिए एक निर्बाध स्वास्थ्य बीमा का अनुभव प्राप्त होगा।

This step is expected to result in better-informed policyholders, reduced disputes and delays, and a seamless health insurance experience for policyholders.

अद्यतन किया गया सीआईएस 1 जनवरी 2024 से प्रवृत्त होगा।

The updated CIS will come into effect from January 1, 2024.

****